


## कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर

आदेश सं०- 118 / 2021  
दिनांक: जून, 14, 2021

### आदेश


माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1946/LXXXVII-CPC/ e-Courts/ Allahabad दिनांकित 26.04.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार दिनांक 28.04.2021 से जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर के जिला मुख्यालय एवं वाह्य स्थित न्यायालयों में नवीन (Fresh) जमानत/ रिमांड आदि अर्जेंट प्रकृति का कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। ऐसी स्थिति में जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर एवं वाह्य स्थित न्यायालयों खुर्जा एवं अनूपशहर में विभिन्न तिथियों में पूर्व से लम्बित सभी मामले (केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें वर्चुअल तरीके से सुनवाई की जा रही है), की सुनवाई हेतु अगली सामान्य तिथि निम्नानुसार नियत की जाती है-

सभी मामलों में नियत तिथि	सभी मामलों में अग्रिम नियत तिथि
14.06.2021	08.07.2021
15.06.2021	09.07.2021
16.06.2021	12.07.2021
17.06.2021	13.07.2021
18.06.2021	14.07.2021
19.06.2021	15.07.2021

  
प्रभारी जनपद न्यायाधीश  
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्यालय एवं समस्त वाह्य न्यायालय, ग्राम न्यायालय, बुलन्दशहर।
2. समस्त बार एसोसिएशन, बुलन्दशहर, खुर्जा, अनूपशहर, स्याना एवं डिबाई।
3. जिला सूचना अधिकारी बुलन्दशहर।
4. सिस्टम आफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय बुलन्दशहर को न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

  
प्रभारी जनपद न्यायाधीश  
बुलन्दशहर।